

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वत्सल भवन, भोपाल-462004.

:: संशोधित अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 01 मार्च, 2026

क्रमांक : एफ 03-01/2025/1/4 :: राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2025 के द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में दिनांक 03 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 04 मार्च 2026 को भी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 04 मार्च, 2026 दिन बुधवार को निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अधीन एतद्वारा सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश कुमार गौर्य)
अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 01 मार्च, 2026

पृ0 क्र0:एफ 03-01/2025/1/4

प्रतिलिपि -

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
3. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र., भोपाल
4. शासन के समस्त विभाग
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.
10. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
11. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र., की और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
13. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल
14. सचिव, लोकयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

निस्तर